

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 43/2024(GCMS : 2024/96)

आवास फाईनेन्सर्स लि. (Formely known as AU Housing Finance Ltd.) पंजीकृत कार्यालय - 201-202 Second Floor, Southend Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur शाखा कार्यालय नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई कम्पनी के ऊपर, शिव चौक, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/एरिया कलेक्शन मैनेजर प्रेम सुथार

बनाम

1. गुरदास सिंह पुत्र श्री बारा सिंह जाति मेहरा, निवासी गांव 17-जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 37-बालाजी विहार, निवारु लिंक रोड, गोविन्दपुरा बसेरी, जयपुर (राज.)
2. रमनदीप कौर पत्नी गुरदास सिंह जाति मेहरा, निवासी गांव 17-जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सरवन कुमार पुत्र श्री सोनाराम निवासी गांव 19 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर



15.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री मनीष कुमार भारद्वाज ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण गुरदास सिंह, रमनदीप कौर एवं सरवन कुमार को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 12.06.2018, 30.10.2020 एवं 19.01.2022 को क्रमशः राशि 3.90/-लाख रूपये, 2.40/- लाख रूपये एवं 2.50/- लाख रूपये के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 04.01.2024 तक की बकाया राशि 8,92,008/- थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरदास सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 6), गांव 17 जैड (क्षेत्रफल 1850 वर्गफुट), तहसील व जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थन के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण गुरदास सिंह, रमनदीप कौर एवं सरवन कुमार को

जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

ऋण सुविधा के रूप में 3.90/-लाख रुपये, 2.40/- लाख रुपये एवं 2.50/- लाख रुपये (अखरे रुपये आठ लाख अरसी हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक क्रमशः 12.06.2018, 30.10.2020 एवं 19.01.2022 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरनाम सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 6), गावं 17 जैड (क्षेत्रफल 1850 वर्गफुट), तहसील व जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.01.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी गुरदास सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 6), गावं 17 जैड (क्षेत्रफल 1850 वर्गफुट), तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.01.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 05.01.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से

दिनांक 10.01.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नवज्योति में करवाया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी गुरदास सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी गुरदास सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अपनी सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (प्लॉट नं. 6), गांव 17 जैड (क्षेत्रफल 1850 वर्गफुट), तहसील व जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीय तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर